न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 632 सन 2020

अनवान :–

1. भूपसिह पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. कमला पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गुडडी पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. जमना पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. बलवान पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. मोहनी पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. शिशपाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. हनुमान पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 116 की 25.00 बीधा भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी के पिता लिखमाराम को मिसल संख्या 1044 दिनांक 23.07.1972 को आवंटन नियमों के तहत 10 साला आवंटन की गई थी वरवक्त आवंटन वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि आवंटन होने के 10 सालो कें बाद वादी के पिता खातेदार काश्तकार हो गये थे वादी के पिता का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण ही है।

रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 451/450 के खसरा न0 93/3 की 6.3250हैक भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के गैरखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि को बन्दोबस्त विभाग के दौरान साबिका खसरा 116 की 25.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 98 की 25.00 में परिर्वतन किया जाकर पैमुद किया गया है।

बन्दोबस्त विभाग के द्वारा खसरा न0 98 की 25.00 बीधा भूमि परिर्वतन करते समय गोचर दर्ज कर दी गई जिस पर वादी के पिता के न्यायालय हाजा में एक वाद संख्या 315/1991 अनवानी लिखमाराम बनाम सरकार पेश किया गया था जिसमें दिनांक 25.10.1993 को निर्णय पारित किया जाकर वादी के पिता को गैरखातेदार धोषित किया गया था।

गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 नक्शा मौका गिरदावरी सम्वत 2043 तावान मांगपत्र सम्वत 2048 रसीद 3195 पीए दिनांक 25.1.1992 तावान व्यान चित्रप्रति रसीद तावान दिनांक 19.7.1983 नकल मिलान क्षेत्रफल व प्रमाण पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर दिनांक 23.08.1993 व खरीफ सम्वत 2029 में 100 प्रतिशत खराब था रवी सम्वत 2030 में 72 प्रतिशत खराबा था इस भूमि का वर्ष 1983 में 220 रूपये सन 1992 में 325 रूपये दिनांक 15.1.1992

Scanned with CamScanner

को 3195 रूपये सम्वत 2040 में 2725 रूपये तावान तथा चतुवर्षीय गिरदावरी सम्वत 2036से 2039 मे तारामीरा व गुवार काश्त है रसीद दिनांक 2.09.1992 खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2038 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 दस्तावेजा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के काब्जा काश्त साबित है इसप्रकार 10 वर्ष से अधिक समय तक भूमि कब्जा काश्त में रही है व आवंटन दिनांक 1972 से लेकर आज तक पूर्व वादी के पिता लिखमाराम व वाद में उसके वारीसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में रहने वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही है रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवाकर वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना के खसरा न0 98/3 की 6.3250हैव भूमि के वादी एव प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/9 – 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज लिखमाराम को आवंटन की गई थी जो उनके पूर्वज लिखमराम के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो गये है वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 के और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी का वाद प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में तरतीबी प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने व पेरोकार राज के द्वारा विरोध पेश नही करने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 116 की 25.00 बीधा भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी के पिता लिखमाराम को मिसल संख्या 1044 दिनांक 23.07.1972 को आवंटन नियमों के तहत 10 साला आवंटन की गई थी वरवक्त आवंटन वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि आवंटन होने के 10 सालो कें बाद वादी के पिता खातेदार काश्तकार हो गये थे वादी के पिता का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण ही है।

रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 451/450 के खसरा न0 93/3 की 6.3250हैव भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के गैरखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि को बन्दोबस्त विभाग के दौरान साबिका खसरा 116 की 25.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 98 की 25.00 में परिर्वतन किया जाकर पैमुद किया गया है।

Scanned with CamScanner

बन्दोबस्त विभाग के द्वारा खसरा न0 98 की 25.00 बीधा भूमि परिवर्तन करते समय गोचर दर्ज कर दी गई जिस पर वादी के पिता के न्यायालय हाजा में एक वाद संख्या 315/1991 अनवानी लिखमाराम बनाम सरकार पेश किया गया था जिसमें दिनांक 25.10.1993 को निर्णय पारित किया जाकर वादी के पिता को गैरखातेदार घोषित किया गया था।

गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 नक्शा मौका गिरदावरी सम्वत 2043 तावान मांगपत्र सम्वत 2048 रसीद 3195 पीए दिनांक 25.1.1992 तावान व्यान चित्रप्रति रसीद तावान दिनांक 19.7.1983 नकल मिलान क्षेत्रफल व प्रमाण पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर दिनांक 23.08.1993 व खरीफ सम्वत 2029 मे 100 प्रतिशत खराब था रवी सम्वत 2030 में 72 प्रतिशत खराबा था इस भूमि का वर्ष 1983 में 220 रूपये सन 1992 में 325 रूपये दिनांक 15.1.1992 को 3195 रूपये सम्वत 2040 में 2725 रूपये तावान तथा चतुवर्षीय गिरदावरी सम्वत 2036से 2039 मे तारामीरा व गुवार काश्त है रसीद दिनांक 2.09.1992 खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2038 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 दस्तावेजा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के काब्जा काश्त साबित है इसप्रकार 10 वर्ष से अधिक समय तक भूमि कब्जा काश्त में रही है व आवंटन दिनांक 1972 से लेकर आज तक पूर्व वादी के पिता लिखमाराम व वाद में उसके वारीसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में रहने वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही है रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवाकर वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना के खसरा न0 98/3 की 6.3250हैक भूमि के वादी एव प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/9 – 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 451/450 की कुल 6.3250हैक भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है।

गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 नक्शा मौका गिरदावरी सम्वत 2043 तावान मांगपत्र सम्वत 2048 रसीद 3195 पीए दिनांक 25.1.1992 तावान व्यान चित्रप्रति रसीद तावान दिनांक 19.7.1983 नकल मिलान क्षेत्रफल व प्रमाण पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर दिनांक 23.08.1993 व खरीफ सम्वत 2029 में 100 प्रतिशत खराब था रवी सम्वत 2030 में 72 प्रतिशत खराबा था इस भूमि का वर्ष 1983 में 220 रूपये सन 1992 में 325 रूपये दिनांक 15.1.1992 को 3195 रूपये सम्वत 2040 में 2725 रूपये तावान तथा चतुवर्षीय गिरदावरी सम्वत 2036से 2039 मे तारामीरा व गुवार काश्त है रसीद दिनांक 2.09.1992 खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2038 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 दस्तावेजा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के काब्जा काश्त साबित है इसप्रकार 10 वर्ष से अधिक समय तक भूमि कब्जा काश्त में रही है व आवंटन दिनांक 1972 से लेकर आज तक पूर्व वादी के पिता लिखमाराम व वाद में उसके वारीसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में रहना प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है।

वादी का कथन है कि वादी के पिता लिखमाराम को रोंही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 116 की 25.00 बीधा भूमि दिनांक 23.07.1972 को आवटन की गई थी जिस पर पहले लिखमाराम एवं लिखमाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान काश्त करते आ रहे है वादी ने अपने कथनो के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य /सबुतों के अनुसार वाद भूमि पूर्व में लिखमाराम एव वाद में लिखमाराम के वारिसान के कब्जा काश्त में होना साबित है।

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा नम्बरों से नये खसरा नम्बर में परिवर्तन करते समय वादी के पिता लिखमाराम को आवंटन की गई रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा नम्बर 116 की 25.00 बीधा भूमि के हाल खसरा नम्बर 98 की 25.00 बीधा में परिवर्तन किया जाकर वादी के पिता के लिखमाराम के नाम दर्ज ना कर अन्य भूमियो के साथ गोचर दर्ज कर दी जिस पर वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदूराम ने न्यायालय सहायक कलैक्टर भादरा मुख्यालय नोहर के न्यायालय में एक वाद संख्या 315 वर्ष 1991 में बअनवानी लिखमाराम बनाम सरकार प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 25.10.1993 को पारित किया जाकर रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 116 की 25.00 बीधा बारानी भूमि जिसके उत्तर में खसरा न0 93 संवल कवर व खसरा न0 94 दक्षिण में खसरा न0 101 पायतन जोहड व खसरा नम्बर 102 गोचर भूमि में खसरा न0 92 पायतन जोहड पश्चिम में खसरा न0 98 की शेष भूमि है को वादी की गैरखातेदारी भूमि धोषित की गई एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी।

इसप्रकार वाद संख्या 315 वर्ष 1991 में बअनवानी लिखमाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.10.1993 से स्पष्ट है कि वादी के पिता लिखमाराम को भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा गलत तोर से गोचर दर्ज की गई भूमि को साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी के पिता लिखमाराम के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया गया था।

वर्तमान में वादी के पिता लिखमाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण है लिखमाराम के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता लिखमाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि आवंटन से लगातार आदिनांक तक भूमि पहले आवंटी लिखमाराम एवं लिखमाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान के कब्जा काश्त में होने के कारण वादी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि वादी को बारानी क्षेत्र में आवटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है। वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लियें वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसंप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after

Scanned with CamScanner

declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता लिखमाराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी थिराना को रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 98/3 की 6.3250हैक भूमि दिनांक 23.07.1972 को आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 एव आवंटी लिखमाराम वल्द आदुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जो अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 451/450 के खसरा न0 98/3 की 6.3250हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. भूपसिह पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. कमला पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गुडडी पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. जमना पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. बलवान पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. महावीरर पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. मोहनी पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. शिशपाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. हनुमान पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 632 सन 2020 निर्णय दिनांक– 19/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 451/450 के खसरा न0 98/3 की 6.3250हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner